हुकम की तामील में जारी हुए

14.6.2019

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता उप0।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी खेत, ग्राम चारणों की ढाणी , पटवार हल्का बालेवा, भू – अभिलेख निरीक्षक– बालेवा तहसील गडरारोड के खसरा नम्बर 259,328 व 654/259 रकबा क्रमशः 13.00, 26.04 व 0.03 बीघा कुल रकबा 36.06 बीघा भूमि आई हुई है।

प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा – सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 17 को नोटिस भेजे गये , जो बाद तामिल प्राप्त हुए है , जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। बाद तामिल विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है।

~~अतः सी.पी.सी.Oder 5 Rule 9(5) के तहत विप्रार्थीगण 1 से 17 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।~~

प्रार्थीगण वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खसरा नं. 259 का रकबा 15 बीघा दर्ज है । अतः प्रार्थी के खेत की नेखमबंदी का आदेश जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार किया जाना उचित है एवं वर्तमान नक्शे के आधार पर भी प्रार्थी के खेंत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान जमाबंदी एवं सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

– आदेश –

अतः प्रार्थी वेदमल पुत्र श्री चिंतामणदास जाति ओसवाल निवासी बालेवा तहसील गडरारोड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चारणों की ढाणी , पटवार हल्का बालेवा, भू – अभिलेख निरीक्षक– बालेवा तहसील गडरारोड के खसरा नम्बर 259,328 व 654/259 रकबा क्रमशः 15.00, 26.04 व 0.03 बीघा कुल रकबा 41.07 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार गडरारोड को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क 1000/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमबंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :– **140/2019**

क्रमांक/आवेदन/19/ दिनांक–

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वेदमल पुत्र चिंतामणदास, जाति– ओसवाल, नि0 बालेवा, तह0 गडरारोड़		लूणकरण पुत्र ताराचंद वगैरा (17)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार गडरारोड़ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम चारणो की ढाणी, पटवार हल्का बालेवा, भु– अभिलेख निरीक्षक – बालेवा के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 259, 328, 654/259 रकबा क्रमशः 15, 26.04, 0.03 भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

दिनांक–

क्रमांक/आवेदन/19/

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को पालानार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक बालेवा को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी बालेवा को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक बालेवा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **गिराब को पालनार्थ।**
5. प्रार्थी वेदमल पुत्र चिंतामणदास **को सूचनार्थ ।**
6. विप्रार्थीगण लूणकरण पुत्र ताराचंद **वगैरा (17) को सूचनार्थ।**

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.13 12:00:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: